उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
संख्या : बी–1–2457 / दस–2014–231 / 2014
लखनऊ : दिनाँक : 22 जुलाई, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2014–2015 में लेखानुदान अवधि की वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–795 / दस–2014–231 / 2014 दिनाँक 14 मार्च, 2014 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान एवं राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों के राज्य की समेकित निधि में से विनियोग के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 11 सन् 2014) से प्राधिकृत हो चुके हैं । अतः वित्तीय वर्ष 2014–2015 के अनुदानों / भारित विनियोगों को अब बजट का अन्तिम रूप समझा जाय ।

2– वित्तीय वर्ष 2014–2015 के बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय / भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने तथा धनराशि को विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जाय –

(1) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करते समय प्रशासकीय विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि लेखानुदान अवधि के लिये जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों की धनराशि को घटाने / समायोजित करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत की जायं ।

(2) 'व्यय की नई मदों', अंशपूँजी विनियोजन तथा ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित ₹ 5 करोड़ तक लागत की योजनाओं / परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभागों एवं इससे अधिक लागत की 'व्यय की नई मदों', अंशपूँजी विनियोजन तथा ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से जारी की जाय ।

(3) आयोजनागत पक्ष से सम्बन्धित ऐसी योजना / परियोजना जिन पर नियोजन विभाग अथवा समाज कल्याण विभाग की क्लियरेन्स / सहमति प्राप्त नहीं है और बजट में योजना / परियोजना के लिये प्रावधान है तो ऐसी योजनाओं / परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने से पूर्व यथास्थिति नियोजन विभाग अथवा समाज कल्याण विभाग की क्लियरेन्स / सहमति प्राप्त कर ली जाय ।

(4) नयी परियोजना / योजना / सेवा के लिये वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने संबंधी जो भी प्रस्ताव किये जांय उनमें अन्य वांछित विवरण के साथ–साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक–ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा / उपलब्ध कराया जाय ।

(5) केन्द्र सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा वित्त–पोषित योजनाओं के संबंध में उनके द्वारा लगायी गयी शर्तों का स्वीकृति आदेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय और उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

किसी परियोजना / योजना / कार्यक्रम आदि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने की स्थिति में –

(क) निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति जारी की जाय ।

(ख) निर्माण कार्य जिनमें प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वयं आगणन का मूल्यांकन किया जाना है, उन प्रकरणों में वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व तथा अन्य प्रकरणों में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी.एफ.ए.डी.), व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) को संदर्भित करने से पूर्व विभाग के मा0 प्रभारी मंत्री से राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कार्यदायी संस्था में से किसी एक का चयन सुसंगत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुरूप करा लिया जाय । कार्यदायी संस्था के चयन के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत संस्था अनुमानित निर्माण लागत का कार्य करने तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकृत है । कार्यदायी संस्था के चयन के उपरान्त, अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर, नई संस्था चयनित न की जाय, ताकि परियोजना की लागत में कॉस्ट–ओवर–रन्स की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके ।

(ग) निर्माण कार्यों के लिए सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) आदि के निर्धारण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या ए–2–23/दस–2011–17(4)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(घ) यदि निर्माण कार्य की लागत ₹ 1.00 करोड़ तक है और सम्बन्धित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति 30 सितम्बर तक जारी की जा रही है तो ऐसे मामलों में सम्पूर्ण धनराशि एक किश्त में अवमुक्त की जायेगी । 30 सितम्बर के उपरान्त तभी सम्पूर्ण धनराशि एक किश्त में अवमुक्त करने पर विचार किया जाय जब विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव पूर्ण रूप से आश्वस्त हों कि सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित हो जायेगा ।

(च) ₹ 5 करोड़ से अधिक लागत के नये निर्माण कार्य सम्बन्धी परियोजना की आकलित लागत के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त अवमुक्त करने की कार्यवाही वित्त विभाग की सहमति से की जायेगी । परियोजना की अगली किश्त/किश्तें प्रशासकीय विभाग द्वारा निम्नवत् अवमुक्त की जायेंगी –

(i) यदि निर्माण कार्य की लागत ₹ 10.00 करोड़ तक है, तो धनराशि दो किश्तों में अवमुक्त की जाये जिसमें प्रथम किश्त 50 प्रतिशत या इससे कम हो । प्रथम किश्त की राशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर दूसरी किश्त प्रशाासकीय विभाग के द्वारा अवमुक्त की जाये एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें ।

(ii) यदि निर्माण कार्य की लागत ₹ 10.00 करोड़ से अधिक है, तो निर्माण कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था को प्रथम किश्त के रूप में निर्माण लागत की 40 प्रतिशत या इससे कम धनराशि अवमुक्त की जाय । प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर प्रशासकीय विभाग के द्वारा निर्माण कार्य की दूसरी किश्त 40 प्रतिशत तथा प्रथम और दूसरी किश्त की सम्मिलित राशि के 75 प्रतिशत का उपयोग होने पर तीसरी किश्त के रूप में 15 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किया जाये । निर्माण कार्य की दूसरी एवं तीसरी किश्त, निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद जारी की जाये । बकाया 5 प्रतिशत की राशि के अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर की जा सकती है ।

(छ) विभागीय अनुदानों में जहाँ योजनाओं के लिये अलग से भू–प्रतिकर के भुगतान हेतु प्रावधान है और स्वीकृत की जाने वाली धनराशि उक्त प्रस्तर 2(2) की सीमा के अन्तर्गत है, ऐसे प्रकरणों में भू–प्रतिकर हेतु वित्तीय स्वीकृति, प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी ।

(ज) जिन मामलों में केन्द्र सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा योजना का वित्त–पोषण किया जाना प्रस्तावित हो, उनमें किश्तों का निर्धारण केन्द्र सरकार / संस्थाओं की शर्तों के अनुसार किया जाय ।

(झ) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) उपरोक्त उप प्रस्तर 2(6) में दिये गये निर्देश मानक मद '35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि से पोषित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में भी समान रूप से लागू होंगें ।

(8) स्वीकृतियाँ जारी करने से पूर्व विभागों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ / हो रहा है ।

(9) बजट में व्यवस्थित योजनायें / कार्यक्रम (केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य / जिला सेक्टर) जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (cash or kind) की सब्सिडी / सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है, ऐसी सभी योजनाओं / कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि का मा. मंत्रि परिषद के अनुमोदन से योजना के लिये जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों (guidelines) के अनुसार चालू योजनाओं / कार्यक्रमों की वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभागों द्वारा निर्गत की जायेंगी ।

(10) जिन मामलों में राज्य द्वारा अनुदानित संस्थाओं के वेतन व भत्ते के भुगतान का दायित्व राज्य सरकार पर है, उनके लिए व्यय की मानक मद 31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ सुसंगत नियमों व स्थाई आदेशों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी ।

(11) ऐसी राज सहायतित संस्थाओं, जिनके वचनबद्ध व्ययों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वहन करने का दायित्व राज्य सरकार का है और उन्हें मानक मद–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत सहायता दी जानी है, के लिये दो किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जाय जिसमें प्रथम किश्त प्रशासकीय विभाग द्वारा तथा दूसरी किश्त की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी ।

(12) यदि संस्था के पास मानक मद 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) और 31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन) में विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त ही वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत की जायेंगी ।

(13) छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था / किसान पेंशन, समाजवादी पेंशन तथा निराश्रित महिलाओं एवं विकलांगजनों के भरण पोषण हेतु सहायता आदि, जिनकी स्वीकृति / व्यय के लिये सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत की गयी नियमावली अथवा स्थाई आदेश उपलब्ध हों, के लिये आवश्यक धनराशि की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जा सकती है । कोषागार से धनराशि का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाय ।

(14) मानक मद 14–मोटर गाड़ियों का क्रय के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी ।

(15) ऐसी केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित चालू योजनायें/कार्यक्रम, जिनके कार्यान्वयन एवं वित्तपोषण के लिए भारत सरकार की वचनबद्धता है और विगत वर्षों में केन्द्रांश नियमित रूप से प्राप्त होता रहा हो तथा 31 मार्च, 2014 तक अनुमन्य केन्द्रांश के सापेक्ष कोई धनराशि बकाया नहीं है और चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रांश प्राप्त हो चुका है तो ऐसी योजनाओं / परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ (केन्द्रांश तथा राज्यांश), प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि की पुष्टि वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग से करने के उपरान्त, प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी की जायेंगी ।

(16) (क) बजट में कतिपय योजनाओं के लिये सम्मिलित की गयी एकमुश्त व्यवस्था के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–31 के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जाय ताकि स्वीकृतियाँ जारी करने में कोई विलम्ब न होने पाये । एकमुश्त बजट व्यवस्था के समक्ष व्यय की नयी योजनाओं के लिये वित्तीय स्वीकृतियाँ, उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा–94 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार योजना की कुल लागत पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी की जायेंगी, इस हेतु माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से जारी होने वाली स्वीकृतियों के लिये वित्त विभाग के परामर्श / सहमति की आवश्यकता नहीं होगी । प्रशासकीय विभाग द्वारा अगले वर्ष 15 अप्रैल तक माननीय मंत्रि परिषद के समक्ष पैरा–94 के अन्तर्गत जारी सभी स्वीकृतियों का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ख) जिन योजनाओं के लिये पूर्व में एकमुश्त बजट प्रावधान से धनराशि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा–94 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा चुकी है, उन योजनाओं के लिए अनुमोदित लागत की सीमा तक शेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी । इस हेतु पुनः पैरा–94 के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी । परन्तु योजना की मूल लागत / योजना के प्रकार या

प्रसार में परिवर्तन होने की दशा में वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के पूर्व यथावश्यक पैरा–94 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा । इस हेतु माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से जारी होने वाली स्वीकृतियों के लिये वित्त विभाग के परामर्श / सहमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

(17) चालू परियोजनायें, जिनके सम्बन्ध में प्रशासनिक अनुमोदन और परियोजनाओं पर होने वाले अनावर्तक व आवर्तक व्यय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् वित्त विभाग की सहमति से आंशिक धनराशि अवमुक्त की जा चुकी हो, के लिए बजट में उपलब्ध प्रावधान से आवश्यकतानुसार शेष धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति, विगत वर्ष की अप्रयुक्त धनराशि, यदि कोई हो, का समायोजन करने के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी ।

(18) माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिन मामलों में भुगतान किया जाना है, ऐसे मामलों में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त कर प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्णय लेकर भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायेंगी ।

(19) वित्तीय वर्ष 2014–2015 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), 26–गृह विभाग (पुलिस), 37–नगर विकास विभाग तथा 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों की प्रतिपूर्ति के लिये व्यवस्था है, जिसका विवरण सम्बन्धित अनुदानों एवं बजट साहित्य खण्ड–2 (भाग–1) के विवरण पत्र–11 (पृष्ठ–8.22–8.23) पर दिया गया है । सम्बन्धित विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति से संबंधित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी न की जायँ । बल्कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के लेखों में आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति का पुस्तांकन, वित्त विभाग के संबंधित व्यय–नियंत्रण अनुभाग के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय । इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले आदेश में उस शासनादेश की संख्या व दिनांक का भी उल्लेख किया जाय, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से धनराशि स्वीकृत की गई है ।

3– उक्त प्रस्तर–2 के अनुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आबंटन (एलॉटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

4– योजनाओं हेतु प्रावधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी.एल.ए./डिपाज़िट खाते में जमा नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में वित्त विभाग की सहमति एवं माननीय मुख्य मंत्री जी के

संख्या : बी–1–2457(1)/दस–2014–231/2014, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 प्रधान महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय–नियंत्रण अधिकारी / व्यय–नियंत्रण अनुभाग ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
9 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11 तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य एकक), योजना भवन, लखनऊ को वित्त विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु ।
12 गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 39 सा0 वित्त–22.07.2014–(588)–5,000 प्रतियां (आफसेट)।